महानिदेशालय, भा0ति0सी0पुलिस बल
(संगठन अनुभाग)

//अन्तर कार्यालय टिप्पणी//

कृपया आपके कार्यालय के अन्तर कार्यालय टिप्पणी संख्या 5810 दिनांक 14.03.2018 का अवलोकन करें जिसके तहत फील्ड तथा नॉन–फील्ड क्षेत्रों में तैनात अरापजत्रित कार्मिकों कों Compensation for Housing योजना के तहत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मकान किराया भत्ता स्वीकृति आदेश में निम्नलिखित बिन्दुओं को अंकित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करने हेतु आग्रह किया गया है। इस विषय पर संगठन अनुभाग के बिन्दुवार सुझाव निम्नानुसार है:–

(क) लाईन–बैरक में रहने पर

केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रमाण पत्र	संगठन अनुभाग की अभियुक्ति
प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी आवास आंवटित नहीं है एवं उक्त अवधि में कोई मकान भत्ता इत्यादि पहले स्वीकृत नहीं किया गया है।	प्रमाणित किया जाता है कि कर्मी को सरकारी आवास आवंटित नहीं है साथ ही इस अवधि में मकान किराया भत्ता पहले स्वीकृत नहीं किया गया है।
चयनित स्थल पर आश्रितों को रखने के लिए सरकारी आवास हेतु आवेदन उनके सामने अंकित तिथि से SFA/सामान्य पूल हेतु किया गया है। सामान्य पूल आवास के लिए प्रत्येक माह ऑन–लाईन आवेदन भी भरा जा रहा है, लेकिन अभी तक इन्हें सरकारी आवास आंबटित नहीं हुआ है।	चुँकि बल की तैनाती देश के दूर–दराज स्थलों पर है, के मध्यनजर तैनाती एवं चयनित स्थल पर आश्रितों को रखने के लिए वहां पर सरकारी आवास/SFA की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप ही कार्यालयाध्यक्ष कर्मी को मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत हैं जिसका सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर पर किया जाना अपेक्षित होगा। अतः इस स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं है। जहां तक चयनित स्थल पर सामान्य पूल आवास आवंटन हेतु आवेदन करने का प्रश्न है इस विषय पर यह कहना है कि सामान्य पूल आवास आवंटन की सुविधा केवल तैनाती स्थल पर ही उपलब्ध है ना कि चयनित स्थल पर ।
वाहिनी/ईकाई की कार्यात्मक आवश्यकता (Functional Requirement) के अन्तर्गत ही इन्हें कैम्प/बैरक में रखा गया है अर्थात यह अपनी इच्छा से बैरक में नहीं रह रहे हैं।	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि वाहिनी/ईकाई की कार्यात्मक आवश्यकताओं (Functional Requirement) के कारण कार्मिकों को कैम्प/बैरक में रखा गया है अर्थात ये अपनी इच्छा से बैरक में नहीं रह रहे हैं।
चयनित स्थल (X, Y or Z) श्रेणी में आता है। पात्रता के सत्यापन हेतु कार्यालयध्यक्ष द्वारा जिला कलैक्टर से अपेक्षित प्रमाण पत्र/अधिसूचना प्राप्त कर ली गई है।	वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-E.II(B) दिनांक 07.07.2017 के अनुसार मकान किराया भत्ता स्वीकृति के संदर्भ में देश के सभी नगरों/शहरों को X, Y & Z श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है, के अनुपालन में ही कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को मकान किराया भत्ता स्वीकृति हेतु प्राधिकृत है। अतः इस स्थिति में जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र/अधिसूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) कैम्प के बाहर परिवार साथ रखने पर

केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र	संगठन अनुभाग की अभियुक्ति
कोई सरकारी आवास आंवटित नहीं है एवं उक्त अवधि में कोई मकान भत्ता इत्यादि पहले स्वीकृत नहीं किया गया है।	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि कर्मी को सरकारी आवास आवंटित नहीं है साथ ही इस अवधि में मकान किराया भत्ता पहले स्वीकृत नहीं किया गया है।
सरकारी आवास हेतु आवेदन उनके नाम के सामने अंकित तिथि को किया गया है। (जहां सामान्य पूल आवास सुविधा है उनके द्वारा प्रत्येक माह सरकारी आवास के लिए ऑन लाईन आवेदन किया जा रहा है) लेकिन अभी तक आवास आंवटित नहीं हुआ है तथा विभागीय आवास भी उपलब्ध नहीं है।	कर्मी के तैनाती स्थल पर सरकारी आवास आवंटन उपलब्ध न होने की स्थिति में ही कार्यालयाध्यक्ष मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत है। यदि तैनाती स्थल पर सरकारी आवास आवंटन उपलब्ध है तो उस स्थिति में कर्मी को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने का औचित्य ही नहीं है। अतः इस स्थिति में कोई भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

776
23/3/18

	जहां तक तैनाती स्थल पर सामान्य पूल आवास हेतु आवेदन करने का प्रश्न है इस विषय पर यह कहना है कि जहां सामान्य पूल आवास की सुविधा उपलब्ध है उन स्थानों पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगें कि संबंधित कर्मी द्वारा सामान्य पूल आवास के आवंटन हेतु आवेदन किया गया है तथा सामान्य पूल आवास आंवटन ना होने की स्थिति में ही मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।
वाहिनी / ईकाई मुख्यालय (के0एल0पी0) (X, Y or Z) शहर की श्रेणी में आता है जिसके लिए संबंधित जिला कलैक्टर से आपेक्षित प्रमाण पत्र / अधिसूचना प्राप्त कर ली गई है।	वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-E.II(B) दिनांक 07.07.2017 के अनुसार मकान किराया भत्ता स्वीकृति के संदर्भ में देश के सभी नगरों / शहरों को X, Y & Z श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है के अनुपालन में ही कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को मकान किराया भत्ता स्वीकृति हेतु प्राधिकृत है। अतः इस स्थिति में जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र / अधिसूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
मकान भत्ता की पात्रता हेतु सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक प्रमाण पत्र प्रत्येक संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर लिये गये हैं।	सरकारी आवास/SFA का आवंटन ना होने की स्थिति में ही कर्मी को मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जायेगा जिसका सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर पर किया जाना अपेक्षित होगा। अतः किसी भी पदाधिकारी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

2. फील्ड तथा नॉन–फील्ड क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों कों Compensation for Housing योजना इत्यादि के तहत मकान किराया भत्ता स्वीकृति आदेश में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा:–

यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

अ) तैनाती स्थान पर कर्मी को सामान्य पूल आवास / सरकारी आवास आवंटित ना होने की स्थिति में ही इस अवधि का मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया गया है।

ब) तैनाती स्थान पर वाहिनी / इकाई की कार्यात्मक आवश्यकताओं (Functional Requirement) के कारण ही संबंधित कार्मिक कैम्प / बैरक आदि में निवास कर रहे हैं अर्थात अपनी इच्छा से बैरक आदि में नहीं रह रहे हैं।

स) चयनित स्थान पर सरकारी आवास/SFA के आवंटन की अनुपलब्धता होने की स्थिति में ही उपरोक्त कार्मिकों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया गया है।

उप महानिरीक्षक(संगठन)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय), भा0ति0सी0पु0बल।

सं0– I–45024 / 10 / 2017 / संगठन (II)– 223 दिनांक– 23/03/18

प्रतिलिपिः–

1. उप महानिरीक्षक / सेनानी, (समस्त फ्रंटियर मुख्यालय / क्षेत्रीय मुख्यालय / वाहिनियां एवं इकाईयां), भा0ति0सी0पु0बल को आवश्यक कार्रवाई हेतु। उपमहानिरीक्षक (प्रशासन) महा0-
2. उप सेनानी(आई0टी0सैल), महानिदेशालय को:–भा0ति0सी0पु0बल वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

23/3/18

उप महानिरीक्षक (संगठन)

SO(EDP)/Website